न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ, जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी श्रीमती नेहा छीपा (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या 44 / 2024

उनवान

1. रामलाल पुत्र देवी उर्फ देवी लाल बैरवा नि0 खैराबाद तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज)
2. गणेश पुत्र देवी उर्फ देवी लाल बैरवा नि0 खैराबाद तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज)
3. चुन्नी पुत्री देवी लाल बैरवा नि0 खैराबाद तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज)
4. डाली पुत्री देवी लाल बैरवा नि0 खैराबाद तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज)
5. नन्द लाल पुत्र देवीलाल नि0 खैराबाद तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज)

--प्रार्थीगण

बनाम

1. रतन कंवर पत्नी भगवत सिंह राठौड नि0 खैराबाद तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
2. किशन लाल पुत्र भागीरथ सुथार नि0 पालडी तह0 व जिला भीलवाडा।
3. कालू पुत्र भैरू लाल जरिये संरक्षक माता रतनी देवी पत्नी भैरू लाल बैरवा नि0 कानपुरा(दोलपुरा) दुडिया तह हमीरगढ जिला भीलवाडा।
4. काली पुत्री रूपा बैरवा नि0 नि0 खैराबाद तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
5. जमनी पत्नी केला बैरवा नि0 खैराबाद तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
6. रामलाल पुत्र गिरधारी नि0 खैराबाद तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
7. रामलाल पुत्र देबी लाल बैरवा नि0 खैराबाद तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
8. मांगी लाल पुत्र नन्दा बैरवा नि0 खैराबाद तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
9. नानालाल पुत्र नन्दा बैरवा नि0 खैराबाद तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
10. सरजू पत्नी हजारी बैरवा नि0 खैराबाद तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
11. मोहन पुत्र देवी लाल बैरवा नि0 खैराबाद तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
12. रतनी पुत्री गिरधारी नि0 खैराबाद तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
13. भैरू पुत्र देवा बैरवा हरणीकलां तह0 व जिला भीलवाडा
14. मदन पुत्र देबी लाल बैरवा नि0 155 बाबारामदेव मन्दिर के पास कावा का खेडा भीलवाडा तह. जिला भीलवाडा(राज)
15. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ जिला भीलवाडा।

---अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक 09.05.2024

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भॅू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस कार्यालय में दिनांक **26.03.2024** को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि **ग्राम खैराबाद प.ह. खैराबाद भू.अ.नि. खैराबाद तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा के खाता संख्या 571 की आ.न. 1098 रकबा 0.6196है0, आ.न. 1104 रकबा 0.2403है0, आ.न. 1105 रकबा 0.0506है0, कुल किता 03 कुल रकबा 0.9105 है0, भूमि स्थित है।** वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पडौसी है प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहा है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चांहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक **27.03.2024** को पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित । विपक्षी संख्या 01 से 03 व 6 से 10 व 13 व 15 से बावजूद विधिवत प्रकियानुसार सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त उपस्थित नही है। अतः न्यायहित में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। विपक्षी संख्या 4,5,11,12 अदम तामील प्राप्त। इस पर अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा नियम सुनवाई पर उपस्थित होकर विपक्षी संख्या 4,5,11,12 के विरूद्ध कोई कार्यवाही नही चाहने का कथन रखते हुए ओदशिका पर अंकित किया गया । प्रार्थी का निवेदन स्वीकार कर प्रा.पत्र में विपक्षी कम 4,5,11,12 का नाम डिलीट/विलोपित करने की आज्ञा पारित की जाती है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का ध्यापपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य है कि प्रार्थी स्वंय के खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार के हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नही है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार/स्वत्व निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

—::आदेश::—

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार हमीरगढ को आदेश दिये जाते है कि **ग्राम खैराबाद प.ह. खैराबाद भू.अ.नि. खैराबाद तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा के खाता संख्या 571 की आ.न. 1098 रकबा 0.6196है0, आ.न. 1104 रकबा 0.2403है0, आ.न. 1105 रकबा 0.0506है0, कुल किता 03 कुल रकबा 0.9105 है0, भूमि स्थित है।** जिसकी पत्थरगढी राजस्थान लैण्ड रेकार्ड नियम 1956 के प्रावधानो में निर्धारित प्रकिया के अनुसार की जावे तथा नियमानुसार निर्धारित शुल्क 400/—पक्षकार प्रार्थी राजकोष में जमा कराये, साथ ही कमिश्नर फीस 500/—रू0 की नियमानुसार अदायगी प्रार्थी पक्षकार निर्धारित कमिश्नर को भुगतान करें।

आदेश आज दिनांक 09.05.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखा गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर रहे।

(नेहा छीपा)
उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ